भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न : 1402

उत्तर दिए जाने की तारीख : 01.07.2019

विद्यार्थियों में मानसिक रोग

1402. श्री कौशल किशोरः

श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में असफलता के कारण इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के बीच हाल में अवसाद एवं मानसिक बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के इन विद्यार्थियों द्वारा रोजगार प्राप्त किए जाने हेतु उन्हें बेहतर करियर काउंसलिंग एवं अवसर प्रदान किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग) अवसाद और मानसिक रोग के कुछ दृष्टांत सामने आए हैं| शैक्षणिक प्रतियोगिता एक गंभीर मामला है| छात्रों का कक्षाओं, ग्रेडों, विषयों के चुनाव और अभिभावकीय दबावों से गुजरना पड़ता है| तदनुसार, यूजीसी ने दिनांक 06.04.2015 को "उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अन्तः और बाह्य परिसरों के छात्रों की सुरक्षा" पर दिशानिर्देश अधिसूचित किए थे| इन दिशानिर्देशों को यूजीसी की वेबसाइट (www.ugc.ac.in) पर भी अपलोड किया गया है| इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने जनवरी 2016 में सभी विश्वविद्यालयों से समस्याओं, जिनका छात्रों को सामना करना पड़ता है, से निपटने के लिए छात्र काउंसेलिंग प्रणाली स्थापित करने हेतु कहा गया था| आईआईटी ने भी शैक्षणिक दबावों को कम करने हेतु पीयर समर्थित अधिगम, कमजोर छात्रों के लिए विशेष भाषा कक्षाएं आयोजित करने जैसे विभिन्न कदम उठाने शुरू किए हैं| इसके अलावा, आईआईटी संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और छात्रों को तनावमुक्त

करने के लिए खेल और सांस्कृतिक और क्रियाकलापों एवं छात्र काउंसेलरों की नियुक्ति सहित प्रसन्नता और स्वास्थ्य, योग पर नियमित सत्र, परिचय कार्यक्रम, पाठ्येतर क्रियाकलापों पर कार्यशालाएं/संगोष्ठियाँ संचालित करता है|

चूँकि रैगिंग से छात्र की मानसिक अवस्थिति प्रभावित होती है, अतः वर्ष 2009 में, उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के खतरे पर अंकुश लगाने संबंधी यूजीसी अधिनियम बनाया था| वर्ष 2016 में रैगिंग की परिभाषा को विस्तृत करते हुए इन विनियमों में और अधिक संशोधन किया गया| सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा इन विनियमों का अनुसरण किया जाना है| मंत्रालय, यूजीसी को देश में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के विरुद्ध प्रचार अभियान शुरू करने के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ आवंटित करता है| यूजीसी द्वारा सभी संबंधित लोगों के लिए प्रभावी समन्वित कार्रवाई को सुगम बनाने के अतिरिक्त, रैगिंग के पीड़ितों की सहायता करने लिए 12 भाषाओं में कॉल सेंटर सुविधा सहित एक रैगिंग विरोधी टोल फ्री 'हेल्पलाइन' 1800-180-5522 को कार्यात्मक बनाया गया है|

शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने और रोज़गार के लिए कुशल कार्यबल सृजित करने हेतु, यूजीसी ने तीन योजनाओं अर्थात राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यढ़ांचा के तहत सामुदायिक कॉलेज, बी.वोक और दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र को कार्यान्वित किया है| इन योजनाओं से कौशल-आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थाओं और सेवा उद्योग के मध्य नजदीकी संवाद बनाने में सुगमता होती है| इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं के लिए युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कार्यान्वित करती है|

17600 छात्रों के साथ 80 ट्रेड में 162 उच्चतर अधिगम संस्थाओं में व्यवसाय स्नातक (बी.वोक) अध्ययन कार्यक्रम शुरू किया गया था| यूजीसी द्वारा 64 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्रों को अनुमोदित किया गया है| ये केंद्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कौशल विकास हेतु शीर्ष केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं| सामुदायिक कॉलेज क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जो कौशल उन्नयन अथवा रोज़गार विपणन, क्रेडिट पर आधारित बैंकिंग के लिए बहु-बिंदु प्रवेश और बहिर्गमन और उच्चतर शिक्षा में पुनःप्रवेश की अनुमति देते हैं| इस योजना के तहत, यूजीसी और एआईसीटीई साथ-साथ कार्य करते हैं और कुल 273 संस्थाएं (मुख्यतः पॉलीटेकनिक) लगभग 83 ट्रेड में कौशल कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं| एनएसक्यूएफ के अनुसार पाठ्यक्रम 3 से 5 तक संरेखित किए गए हैं| यूजीसी ने अब तक 12440 छात्रों का नामांकन किया है, जिनमें से 9330 छात्रों को सफलतापूर्वक रोज़गार प्राप्त हुए हैं|

*****